प्रेस नोट
दिनांक 08.10.2025

झूठी चोरी की सूचना का को0 देहात पुलिस ने किया खुलासा, घटना निकली मनगढ़ंत, सभी गहने सुरक्षित बरामद–

आज दिनांक 08.10.2025 को भोर में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम सेवक पुरवा, बालपुर जाट निवासी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. राम शरण द्वारा थाना को0 देहात के सीयूजी नम्बर एवं डायल 112 पर यह सूचना दी गयी कि उनके घर में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा गहनों की चोरी कर ली गयी है। प्राप्त सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात मय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे एवं घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ एवं जांच प्रारंभ की गयी। मौके पर सूचना कर्ता के बड़े भाई की बहू गायत्री पत्नी अरुण सिंह ने बताया कि वह अपने 10 माह के बच्चे के साथ मकान के ऊपर वाले कमरे में अकेली सो रही थी, जबकि नीचे के कमरों में उसकी सास शीला देवी पत्नी जितेन्द्र सिंह, बूढ़ी दादी माया देवी तथा घर की दूसरी बहू मुस्कान पत्नी राहुल सिंह सो रही थीं। घर के दो युवक सदस्य सूरज व शिवम बाहर सोये हुए थे। गायत्री ने बताया कि लगभग रात्रि 02.00 बजे दो अज्ञात व्यक्ति, जिनके मुँह काले गमछे से ढके हुए थे और शक्ल से नेपाली प्रतीत हो रहे थे, कमरे में आये तथा ₹6500 नकद एवं गहने लेकर भाग गये। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसओजी एवं सर्विलांस टीम को मौके पर बुलाया गया। तकनीकी एवं मैनुअल जांच के साथ–साथ पुलिस द्वारा मोहल्ले एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की गयी। जांच के दौरान गायत्री के मोबाइल फोन का परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि रात्रि लगभग 01.00 बजे उसकी अपने पति अरुण सिंह (जो वर्तमान में लखनऊ में कार्यरत हैं) से बातचीत हुई थी। इस आधार पर जब पुलिस टीम द्वारा गायत्री से गहराई से पूछताछ की गयी तो उसने स्वीकार किया कि उसने चोरी की झूठी कहानी स्वयं गढ़ी थी। उसने बताया कि रात्रि में अपने पति से कहासुनी हो गयी थी तथा उसकी बड़ी बहन ने उससे ₹11,000 उधार मांगे थे। पति को सबक सिखाने एवं बहन को पैसा न देने के उद्देश्य से उसने घरवालों के समक्ष यह झूठी कहानी बनायी कि घर में चोरी हो गयी है। पुलिस द्वारा गायत्री की निशानदेही पर घर में रखे एक छोटे बक्से से सभी गहने बरामद किये गये जो पूर्ण रूप से सुरक्षित थे। पूछताछ के दौरान मात्र ₹1000 नगद बरामद हुआ तथा गायत्री ने यह स्वीकार किया कि ₹6500 की नकदी बताना भी गलत था।

पूरे घटनाक्रम में गायत्री द्वारा जानबूझकर झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने एवं अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया था। उक्त महिला को उसकी गलती से अवगत कराते हुए कडी चेतावनी दी गयी तथा भविष्य में इस प्रकार की मनगढंत व भ्रामक सूचना न देने हेतु सख्त हिदायत दी गयी है। इस प्रकार थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा त्वरित, तकनीकी एवं वैज्ञानिक जांच के माध्यम से तथ्यों को स्पष्ट कर चोरी की झूठी सूचना का खुलासा करते हुए वास्तविकता उजागर कर दी गयी।

जनपद गोण्डा पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की घटना की सत्य जानकारी ही पुलिस को दें, झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करना कानूनन दंडनीय अपराध है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.10.2025

थाना परसपुर पुलिस शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान शातिर चोर बुधराम पुत्र शेर बहादुर निवासी ग्राम सुधाकर नगर दुरौनी टेपरा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद चोरी का बैटरा व 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 07.10.2025 को थाना परसपुर के उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह मय हमराह रात्रि गश्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति साइकिल पर चोरी का बैटरा रखकर पसका मोड़ की तरफ से कस्बा परसपुर की ओर बेचने हेतु जा रहा है। सूचना पर पुलिस बल द्वारा ग्राम भौरीगंज मोड़ परसपुर से अभियुक्त बुधराम पुत्र शेर बहादुर निवासी ग्राम सुधाकर नगर दुरौनी टेपरा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो अदद चोरी के बैटरा एवं 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. बुधराम पुत्र शेर बहादुर निवासी ग्राम सुधाकर नगर दुरौनी टेपरा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–431/25, धारा 35(1),317 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 अदद बैटरा।
02. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह।
02. का0 योगेन्द्र प्रताप यादव।
03. का0 अजय सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।